प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–1428/प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 14 नवम्बर, 2018
आदेश

अन्जली कालेज ऑफ फार्मेसी एण्ड साइन्स, आगरा। (कोड–324)

संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र/प्रस्ताव के साथ संलग्न/सूचना अपलोड की गयी जिनका समिति के पत्रांक संख्या–125/प्र0फी0नि0स0/शु0नि0/2018 दिनांक 21.07.2018 द्वारा सभी संलग्नकों/प्रपत्रों सहित दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में आय से अत्यधिक व्यय दर्शाया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की विस्तृत जांच तथा भौतिक निरीक्षण भी कराया जाय। तत्पश्चात् शासन के आदेश संख्या–3397/सोलह–1–2018–14(70)/2015 टीसी दिनांक 06.09.2018 द्वारा गठित उप समिति (जाँच) द्वारा संस्थान के अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2018 को किया गया जिसमें संस्थान द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय असहयोग प्रदान किया गया। तत्पश्चात् संस्थान को शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का पुनः एक और अन्तिम अवसर दिनांक 25.10.2018 को प्रदान किया गया परन्तु संस्थान की ओर से सुनवाई के समय कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। शासन द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा की गयी संस्तुति *"संस्थान में उपलब्ध अवस्थापना एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के गुणवत्ताहीन होने, संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पी0सी0आई0 आदि द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न किये जाने के दृष्टिगत मानक शुल्क से अधिक शुल्क निर्धारित किये जाने में कठिनाई"* अतएव शासन द्वारा गठित जाँच समिति की संस्तुतियों एवं संस्थान की ओर से सुनवाई के समय कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न होने के दृष्टिगत संस्थान पर समिति के निर्णयानुसार प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क अनुमन्य।

अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781 /सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली–2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या–64/प्र0फी0नि0स0/ 2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

कमांक	पाठ्यकम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	बी0टेक0	55000.00
02	बी0फार्मा0	63300.00
03	बी0आर्क0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्क0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

3. संस्थान द्वारा विनियमावली–2015 में दिये प्राविधानों के अनुसार संस्थान द्वारा मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारण कराने हेतु ऑन–लाईन आवेदन किया गया। इसके उपरान्त संस्थान को समिति कार्यालय के पत्र संख्या–125/प्र0फी0नि0स0/शु0नि0/2018 दिनांक 21.07.2018 द्वारा एक सप्ताह का समय देते हुए संस्थान को दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई के समय समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में आय से अधिक व्यय दर्शाया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की विस्तृत जांच तथा भौतिक निरीक्षण भी कराया जाय। तत्पश्चात् शासन के आदेश संख्या–3397/सोलह–1–2018–14(70)/2015टीसी दिनांक 06.09.2018 द्वारा गठित उप समिति (जाँच) द्वारा संस्थान के अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2018 को किया गया जिसमें संस्थान द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय असहयोग प्रदान किया गया। तत्पश्चात् संस्थान को शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का पुनः एक और अन्तिम अवसर दिनांक 25.10.2018 को प्रदान किया गया परन्तु संस्थान की ओर से सुनवाई के समय कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया कि समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्राओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या–3393/सोलह–1–2009– 5(डब्लू–48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

Khan

(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/प्राचार्य, अन्जली कालेज ऑफ फार्मेसी एण्ड साइन्स, आगरा।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव